भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4067

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

आपदाओं और महामारियों के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुविधाएं

4067. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर आकांक्षी जिलों में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों, श्रमिकों और कर्मचारियों की आजीविका विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महामारी/प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रभावित कामगारों, श्रमिकों और कर्मचारियों को राहत, सहायता एवं पुनर्रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उक्त जिलों के सभी पात्र कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और उन्हें इस संबंध में सहायता मिल गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे कितने कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है अथवा इस संबंध में सहायता नहीं मिल पाई है और सरकार द्वारा उनके लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): आपदा प्रबंधन की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार, जहाँ भी आवश्यक हो, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में लोजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

राज्य सरकारें, बाढ़ और भूस्खलन सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार पहले से ही उसके पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालाँकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है और यह मुआवजे के रूप में नहीं होती है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारम्भ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहयोग प्रदान करना है।

जारी..2/-

29 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.97 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबन्ध-I में दिया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अनुरूप, अनुग्रह राशि के माध्यम से ई-श्रम पर आकस्मिक मृत्यु/नि:शक्तता दावों को प्रोसेस करने संबंधी दिशानिर्देश 24.08.2023 को जारी किए गए। दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26.08.2021 से 31.03.2022 के बीच ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए कामगार, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अपूरणीय नि:शक्तता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक अपूरणीय नि:शक्तता की स्थिति में एक लाख रुपये के पात्र होंगे।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम के अंतर्गत अनुग्रह राशि लाभ का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबध-II में दिया गया है।

**   ****

अनुबंध-I

'आपदाओं और महामारियों के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4067 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 29.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2022	2023	2024	2025
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10,926	2,186	1,870	2,010
2	आंध्र प्रदेश	53,35,622	1,70,074	92,328	4,68,400
3	अरुणाचल प्रदेश	95,410	5,305	54,604	9,955
4	असम	19,98,205	2,22,198	4,67,467	1,26,992
5	बिहार	1,26,20,753	3,98,940	6,80,287	4,04,206
6	चंडीगढ़	71,010	3,442	7,714	2,871
7	छत्तीसगढ	27,53,607	1,40,097	1,51,333	67,445
8	दिल्ली	15,42,248	80,270	1,52,706	90,014
9	गोवा	42,012	14,491	9,851	6,844
10	गुजरात	57,76,917	23,96,258	3,94,476	2,74,747
11	हरियाणा	25,71,540	46,464	68,543	44,768
12	हिमाचल प्रदेश	11,19,018	28,813	32,479	19,282
13	जम्मू और कश्मीर	15,30,314	73,193	1,22,193	47,771
14	झारखंड	25,36,459	1,59,991	3,28,091	83,209
15	कर्नाटक	49,80,082	5,63,811	25,81,511	4,23,963
16	केरल	11,23,035	37,443	69,908	54,912
17	लद्दाख	23,368	3,334	1,734	1,220
18	लक्षद्वीप	2,263	102	303	35
19	मध्य प्रदेश	1,22,08,686	5,74,658	10,82,737	4,29,377
20	महाराष्ट्र	96,81,137	6,68,817	33,13,422	4,78,299
21	मणिपुर	66,512	24,830	23,764	10,653
22	मेघालय	1,63,825	25,859	16,798	25,901
23	मिजोरम	49,772	5,072	1,830	7,260
24	नागालैंड	34,224	2,542	10,863	6,667
25	ओडिशा	6,09,564	48,014	1,79,804	54,722
26	पुदुचेरी	71,787	7,081	6,408	5,073
27	पंजाब	8,01,714	83,664	1,97,814	84,410
28	राजस्थान	89,69,134	6,33,121	9,42,996	5,56,125
29	सिक्किम	18,390	13,626	5,448	6,525
30	तमिलनाडु	37,71,438	2,39,373	3,69,465	3,86,955
31	तेलंगाना	21,45,618	2,73,329	1,55,069	83,180
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	34,566	723	1,017	967
33	त्रिपुरा	1,40,523	20,031	22,451	10,174
34	उत्तर प्रदेश	2,00,26,516	2,75,511	5,13,367	2,18,238
35	उत्तराखंड	20,56,409	32,492	52,103	27,162
36	पश्चिम बंगाल	23,18,784	4,34,537	2,34,555	69,621

अनुबंध-II

'आपदाओं और महामारियों के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4067 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 29.07.2025 तक की स्थित के अनुसार, चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम के तहत दी गई अनुग्रह सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा:

क्र. सं.		2023	2024	2025	कुल
	राज्य	दी गई सहायता	दी गई सहायता	दी गई सहायता	दी गई सहायता
1	आंध्र प्रदेश	49	94	2	**145**
2	असम				**0**
3	बिहार	1	5		**6**
4	चंडीगढ़				**0**
5	छत्तीसगढ		20		**20**
6	गुजरात	17	54	3	**74**
7	हरियाणा	1	16	1	**18**
8	हिमाचल प्रदेश		4		**4**
9	जम्मू और कश्मीर			1	**1**
10	झारखंड	24	57	1	**82**
11	कर्नाटक	18	12		**30**
12	केरल		20		**20**
13	मध्य प्रदेश		11	1	**12**
14	महाराष्ट्र		2	2	**4**
15	ओडिशा				**0**
16	पंजाब				**0**
17	राजस्थान		15	1	**16**
18	तमिलनाडु		13	5	**18**
19	तेलंगाना		18	2	**20**
20	त्रिपुरा		5		**5**
21	उत्तर प्रदेश		149	13	**162**
22	उत्तराखंड		5	3	**8**
कुल योग		**110**	**500**	**35**	**645**

*राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त अनुग्रह दावे।

दिनांक 29.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम में अनुग्रह लाभ के तहत जारी राशि का वर्ष-वार ब्यौरा

वित्त वर्ष	धनराशी (करोड़ में)
2023-24	6.79
2024-25	5.20
2025-26	2.46

****